भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2175
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

**मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता**

**2175. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :**
**श्री बिद्युत बरन महतो :**
**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :**
**श्री सुधीर गुप्ता :**
**श्री गजानन कीर्तिकर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या देश में मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता को विनियमित करने से संबंधित कोई विधान मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या माननीय उच्चतम न्यायलय ने मुकदमेबाजी से पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य करने के लिए एक व्यापक कानून लाने की मांग की है ;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;
(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता में कृत्रिम मेधा के उपयोग का पता लगाने के प्रयासों के लिए भी कहा है ;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और
(च) न्यायालयों में बैकलॉग को कम करने और न्यायालयों और वादियों दोनों के समय को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**
**(श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (च) :** एक विवरण सदन के पटल पर दिया गया है।

**'मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2175 जिसका उत्तर तारीख 04.03.2020 को दिया जाना है के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

**(क) :** जी, हां। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अध्याय 3क के अधीन धारा 12क अन्य बातों के साथ वाणिज्यिक विवादों के उन मामलों के सिवाय जहां किसी अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष की अपेक्षा वादी द्वारा नहीं की गई है, वहाँ संस्थित करने से पहले मध्यकता और समझौता अनिवार्य होने का उपबंध करती है।

सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय (संस्थित करने से पहले मध्यकता और समझौता) नियम, 2018 अधिसूचित किए हैं और अधिसूचना तारीख 03.07.2018 द्वारा संस्थित करने से पहले और समझौते के प्रयोजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन गठित राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण को प्राधिकृत किया है।

**(ख) और (ग) :** भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय तारीख 5.3.2019, सिविल अपील सं. 2476-2477/ 2019 में, अन्य बातों के साथ सरकार को मध्यकता के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए भारतीय मध्यकता अधिनियम अधिनियमित करने की साध्यता पर विचार करने का निदेश का दिया /सिफारिश की है। उक्त मामला भारत के विधि आयोग को समीक्षा हेतु अग्रेषित किया गया था। तथापि, भारत का 22वां विधि आयोग तारीख 21.02.2020 को ही गठित हुआ है।

**(घ) और (ड.) :** भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति, मध्यकता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को एक विषय के रूप में खोज नहीं कर रही है।

**(च) :** यद्यपि, न्यायालयों में मामलों का निपटान न्यायपालिका की अधिकारिता के भीतर आता है। संघ सरकार मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों में कटौती के लिए वचनबद्ध है। इस संबंध में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचनात्मक सुधार करना;
(ii) बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) यांत्रिक सुविधा;
(iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना;
(iv) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय स्तर पर बकाया समितियों, द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई करना/के माध्यम से लंबित मामलों में कटौती करना;
(v) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर बल देना; और
(vi) विशिष्ट प्रकृति के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल।

**********